

मध्यप्रदेश शासन  
वित्त विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
// आदेश //

भोपाल, दिनांक 20/05/2022

क्रमांक 12/5/3590/2021/ई/चार, मध्यप्रदेश राज्य वित्त सेवा राजपत्रित भती तथा सेवा की शर्त नियम, 2018 अनुसूची-चार (क) के उल्लेख अनुसार राज्य वित्त सेवा के वॉरंट श्रेणी वेतनमान में 04 वर्ष की अहतादायी सेवा पूर्ण कर चुके अधिकारियों को प्रवर श्रेणी वेतनमान में चयन हेतु उपयुक्तता निर्धारण के लिये विभागीय चयन समिति की बैठक दिनांक 25.05.2022 में विचार किया गया।

2. विभागीय चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर राज्य शासन, पत्र द्वारा राज्य वित्त सेवा के वॉरंट श्रेणी वेतनमान (उप संचालक) स्तर के मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 में विनिर्दिष्ट लेवल 13 में कार्यरत निम्नोक्त अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख कॉलम 4 में अंकित तिथि से राज्य वित्त सेवा के प्रवर श्रेणी (संयुक्त संचालक) वेतनमान मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 में विनिर्दिष्ट लेवल 14 में नियुक्ति (चयन) प्रदान करता है:

क्रमांक	नाम अधिकारी	वर्तमान पदस्थापना	प्रवर श्रेणी वेतनमान में चयन का दिनांक
1	2	3	4
1	श्री ललित परमार	कोषालय अधिकारी खण्डवा सेवा निवृत्त	01.01.2021
2	श्री पोट्टूक तिवी	वॉरंट कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन कोषालय भोपाल	01.01.2021
3	श्री प्रदीप आमकार	वित्त पेंशन अधिकारी, दमोह लेखा अधिकारी, गव्यान्त भोजन कार्यक्रम परिषद भोपाल	01.01.2022
4	श्री राकेश कुमार मिश्रा	अवर सचिव, म.प्र.शासन वित्त विभाग मंत्रालय, भोपाल	01.01.2022
5	श्री देरावर सिंह भाटी	वॉरंट तथा अधिकारी, काया मुख्य लेखा अधिकारी वल्लभ भवन शापाल	01.01.2022
6	श्री राजेश कुमार त्रिजपथी	उप संचालक, विभागीय संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा जयसंपूर	01.01.2022
7	श्री दीपक धगट	व्यवधान्य अधिकारी जिला कोषालय जयसंपूर	01.01.2022
8	श्री शंकेन्द्र कुमार शुक्ला	व्यवधान्य अधिकारी जिला कोषालय जयसंपूर	01.01.2022
9	श्री अजय सामदेकर	उप संचालक, मंत्रालय-मंत्रालय कोष एवं लेखा भोपाल	01.01.2022
10	श्री केशी श्रीवास्तव	कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय विदिशा	01.01.2022
11	श्री सुनील कुमार महता	उप संचालक, मंत्रालय-मंत्रालय संस्थागत वित्त भोपाल	01.02.2022
12	श्री उमेश कुमार श्रीवास्तव	उप संचालक वित्त (प्र.ल.अ.) प्रत्येक/लाकायुक्त म.प्र.	01.02.2022
13	श्री योगेन्द्र श्रीवास्तव	उप संचालक वित्त (प्र.ल.अ.) प्रत्येक/लाकायुक्त म.प्र.	01.02.2022
14	श्री विजय कुमार आशुनकर	उप संचालक, मंत्रालय-मंत्रालय कोषालय भोपाल	01.02.2022
15	श्री अश्विनी सिंह परिहार	उप संचालक, मंत्रालय-मंत्रालय कोषालय भोपाल	01.02.2022


*Handwritten signature*

16	श्री सुनील कुमार भदौरिया	वित्त अधिकारी, स्मार्ट सिटी परियोजना बोधाल	01.03.2022
17	डा.श्रीमती दीप्ति मिश्रा	कोषालय अधिकारी विश्व्यायल भवन कोषालय बोधाल	01.06.2022

2/ उपरोक्त अधिकारियों का वास्तविक रूप से प्रवर श्रेणी वर्तमान का लाभ उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से देय होगा। इन अधिकारियों को प्रवर श्रेणी वर्तमान में चयन के दिनांक से वास्तविक रूप से कार्यभार ग्रहण करने के बीच की अवधि के वेतन भत्ते परस्पर आदि "कार्य नहीं तो वेतन नहीं" के सिद्धान्त के आधार पर देय नहीं होंगे, किंतु उन्हें वेतन निर्धारण का लाभ प्रवर श्रेणी वर्तमान स्वीकृत किये जाने के दिनांक से देय होगा।

3/ उक्त अधिकारी वर्तमान पदस्थापना के पद पर आगामी आदेश तक कार्यरत रहेंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार ,

  
(मनोज कुमार जैन)  
उप सचिव


मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

भोपाल, दिनांक 30 /05/2022

पृष्ठांकन क्रमांक 3590/2021/ई/चार/। 216

प्रतिलिपि:-

1. माननीय वित्त मंत्रों जी के निज सचिव,
2. अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/ पंचायत एवं ग्रामीण विकास, मंत्रालय
3. प्रमुख सचिव वित्त, के निज सहायक,
4. प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग/नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय /सामान्य प्रशासन विभाग/ग्रामोद्योग/भोपाल
5. आयुक्त, कोष एवं लेखा, भोपाल,
6. आयुक्त/प्रबंध संचालक/संचालक, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम पार्षद भोपाल/ संस्थागत वित्त भोपाल/हाथकरभा भोपाल/नगर निगम भोपाल/स्मार्ट सिटी परियोजना भोपाल
7. आयुक्त, नगर निगम कटनी,
8. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश लोकायुक्त संगठन भोपाल
9. संचालक पेंशन भावष्य निधि एवं बीमा भोपाल,
10. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, भोपाल/जबलपुर/ग्वाल्थर/इंदौर/उज्जैन/रीवा/सागर,
11. संभागीय पेंशन अधिकारी, भोपाल/इंदौर/जबलपुर/ग्वाल्थर/उज्जैन/रीवा/सागर,
12. वार्षिक कोषालय अधिकारी, जिला भोपाल/विन्ध्याचल भवन/सतपुडा भवन, /खण्डवा/दमोह/सागर/विदिशा
13. जिला पेंशन अधिकारी दमोह
14. मुख्य लेखा अधिकारी, वल्लभ भवन भोपाल,
15. कार्यालय प्रमुख.....याद संबंधित के विरुद्ध वर्तमान में कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रचलित हो, अथवा विभागीय जांच संस्थित कर आरोप पत्र जारी किए गए हों, अथवा इनके विरुद्ध किसी प्रकार की शारित प्रभावशील हो अथवा अभियोगन/आराधिक प्रकरण लंबित हो तो ऐसी स्थिति में यह आदेश संबंधित अधिकारी के पारंपरिक में स्वतः निरस्त माना जावेगा। उसे अधिकारी को प्रवर श्रेणी वर्तमान का लाभ नहीं दिया जावे आर वस्तुस्थिति से शासन को तत्काल अधगत कराया जावे।
16. संबंधित अधिकारीगण.....
17. गार्ड फाइल.....  
को और सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रोधत।

  
अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग